# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 244/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| सुरताराम पुत्र रायमलराम नाई<br>निवासी– आसुपुरा बोर चारणान<br>तहसील धोरीमन्ना बाडमेर | | फुसाराम पुत्र हेमाराम जाट निवासी–<br>रणोदर हाल– आसुपुरा बोर चारणान<br>तहसील धोरीमन्ना बाडमेर |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.5.2016 जो प्रकरण संख्या 44322015 अनवान फुसाराम बनाम सुरताराम में उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के द्वारा पारित किया गया ।**

उपस्थितिः–

1– श्री तेजाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री अजित सिंह दहिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 08–08–2022

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के समक्ष धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मौजा आसुपुरा पटवार हल्का बोर चारणान के उनकी खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि ख0सं0 215/1 रकबा 20 बीघा भूमि आई हुई है जिसकी स्थाई नेखमबन्दी की जावें। इस ख0सं0 के सेढासेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई जो उसनकी माठे तोड कर अधिक भूमि पर काश्त कर लेते है। माठ के विवाद से बचने के लिये स्थाई व पक्की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम बोर चारणान में रखी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नेखमबन्दी पक्षकारान की मौजूदगी एवं विवाद नहीं होने की स्थिति में करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया को अपनाये बिना ही पारित किया है जो विधि विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.3.16 को तारीख पेशी थी तथा आगामी तारीख 25.5.16 नियत की गई लेकिन 25.5.16 के पहले ही अपीलार्थी को कोई नोटिस सूचना दिये ही कैम्प–कोर्ट में सुनवाई हेतु रखा जाकर बिना सूचना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 के खेतों के बीच पुरानी माठ बनी है, ऐसे में कोई सीमा विवाद ही नहीं था। न ही रेस्पो0 ने अपने

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

में जब माठ बनी हुई हो तो धारा 128 एलआर एक्ट के तहत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश भी मात्र आधे पेज में है जिसमें बिना कोई तथ्यों व विधि का जिक्र किये ही पारित किया है जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय को मौके की स्थिति व मौका रिपोर्ट तलब कर रिपोर्ट अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रक्रिया अपनाये बिना ही बिना सूचना/नोटिस जारी किये कैम्प कोर्ट में प्रकरण को निस्तारित कर मनमानी कारित की है अतः अपीलाधीन निरस्त किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार(भूमिधारी) को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्ट द्वारा अपील में अपीलाधीन आदेश में वर्णित अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही है इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त ख0सं0 215 व 215/1 एक ही खसरे का भाग है उनका विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। इसलिये अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद उपखंड अधिकारी, धोरीमन्ना के समक्ष पेश किया हुआ है और उसमें स्थगन आदेश भी था उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो त्रुटिपूर्ण होने, विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावें एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट ग्राम बोर चारणान में प्रकरण पत्रावली में संस्थित किये गये अप्रार्थीगण में से कई लोग उपस्थित रहे थे। प्रार्थी अनुपस्थित रहा है। ऐसे में प्रकरण बाबत नोटिस तो जारी हुए ही है जिनको पत्रावली के कैम्प कोर्ट में ले जाने की जानकारी रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वर्णित वादग्रस्त भूमि ख0सं0 215/1 रकबा 20 बीघा भूमि पर जो स्थाई नेखमबन्दी किये जाने का आदेश पारित किया है, वह उचित है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि स्थाई पक्के नेखमबन्दी हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है तथा नेखमबन्दी पक्षकारान की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो नेखमबन्दी नहीं कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से विधि का हनन नहीं हुआ है। अपीलान्ट को चाहिये था कि वे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना पूर्ण करने में मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही में सहयोग करते और किसी प्रकार से उनकी भूमि पर नेखमबन्दी हो रही होती तो वो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठाते।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने भूमि बेच दी है, परन्तु अपीलान्ट क्रेतागण को भूमि पर कब्जा नहीं करने दे रहा है। अपीलान्ट एवं उनके बेटे के मध्य दावा विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वो विधि अनुकूल उचित है, अतः अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य है। एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व लोक अदालत अभियान में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मजमे आम में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त लोक अदालत के समय में अधिकांश विप्रार्थीगण उपस्थित होना प्रतीत होता है। अपीलार्थी का अपील में मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर तहसीलदार, धोरीमन्ना को निर्देशित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम दोनों पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी करें, दोनों पक्षाकरान की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन का कार्य करें। तत्पश्चात भी आवश्यक हो तो पक्षकारान की उपस्थिती में विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 08 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर